

189

**मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्**  
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)  
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

/NREGS-MP,दिनांक-लेख-09

भोपाल दिनांक 6/12/09


कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी /अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक  
जिला/जिला पंचायत ..... (समस्त)

विषय :-म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के अंतर्गत संविदा पर पदस्थ अनले को छठवे  
वेतनमान विषयक।  
संदर्भ :-परिषद् मुख्यालय का पत्र क्र 9407 दिनांक 13/10/08, पत्र क्र. 4721 दिनांक  
15/06/09

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि परिषद् मुख्यालय द्वारा समय-समय पर  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अंतर्गत संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों  
को वेतन/मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं।

नवीन वेतन बिना परिषद् के स्वीकृति के स्वीकार नहीं किया जावे एवं न ही  
भुगतान किया जावे, यदि मंहगाई भत्ता 47 प्रतिशत से अधिक भुगतान किया गया हो तो  
उक्त राशि की नियमानुसार संबंधित से वसूली कर परिषद् को अवगत करावे।

म.प्र. पुनरीक्षण नियम 2009 दिनांक 1 जनवरी, 2006 से स्वीकृत वेतन/मंहगाई  
भत्ता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अंतर्गत संविदा पर नियुक्त  
अधिकारी/कर्मचारियों को देय नहीं है।

  
26.12.09  
(ए.के. सिंह)  
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्.